राम चंद गुप्ता, न्यायमूर्ति

हरि सिंह व अन्य- अपीलकर्ता

बनाम

जसवंत सिंह, प्रतिवादी

1985 का आरएसए नंबर 1997

2 मई 2011

भारतीय सुखभोग अधिनियम, जे 882-धारा 5 और 13-प्रतिवादी द्वारा सुखभोग के अधिकार के लिए दावा- कानून के संचालन द्वारा घर में अपीलकर्ता द्वारा अर्जित स्वामित्व अधिकार। प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से - भारतीय भोगभोग

---

(3) 2010 (4) पीएलआर 1

अधिनियम की धारा 13 लागू - प्रिस्क्रिप्शन द्वारा सुगमता का कोई अधिकार न होने पर भी आवश्यकता की सुगमता है - अपील खारिज कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया गया है कि यह सही रूप से देखा गया है कि उसे अपने मवेशी शेड तक पहुंचने के लिए अपीलकर्ताओं-वादी के घर के आंगन से गुजरने का अधिकार है और यह भी सही रूप से देखा गया है कि यदि प्रतिवादी-प्रतिवादी ने पर्चे की सहजता हासिल नहीं की है, तो उसने अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रदान की गई आवश्यकता की सहजता हासिल कर ली है।

(पैरा 21)

अपीलकर्ताओं के लिए वकील कबीर सरीन।

प्रतिवादी के लिए कोई नहीं।

राम चंद गुप्ता, न्यायाधीश

वर्तमान नियमित द्वितीय अपील को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

अपीलकर्ताओं-वादी ने प्रतिवादी-प्रतिवादी को अपने घर के कोर्ट-यार्ड से गुजरने से रोकने के लिए स्थायी अकार्य के लिए एक मुकदमा दायर किया, जो वादी में विधिवत वर्णित है और साइट प्लान में डब्ल्यूबीसीडीईएफजीएच अक्षरों द्वारा लाल रंग से दिखाया गया है। वादी के साथ संलग्न और उक्त कोर्ट-यार्ड के किसी भी हिस्से को अपने घर से प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए मार्ग के रूप में उपयोग करने से और आगे उन्हें बीसी *

बिंदुओं पर अपने आंगन-यार्ड में दीवार उठाने में कोई बाधा पैदा करने से रोकना।

(दो) दलीलें ली गई हैं कि पहले धर्म सिंह, अपीलकर्ताओं-वादियों के पूर्ववर्ती-हित उक्त घर के कब्जे में मालिक थे, जिनकी मृत्यु लगभग 7-1/2 साल पहले हुई थी और उनकी मृत्यु के बाद, वे 27 मार्च की वसीयत के आधार पर मालिकों के रूप में उसी के कब्जे में आए थे। 1974 को धर्म सिंह ने उनके पक्ष में फांसी दी। प्रतिवादी-प्रतिवादी का आवास अपीलकर्ताओं-वादी के घर के उत्तरी हिस्से में स्थित है और यह उनके घर से सटा हुआ है जिसे 'एएलआईडीसीबी' अक्षरों द्वारा दिखाया गया है और साइट प्लान में पीले रंग में दिखाया गया है। पूर्व पीएल. इससे पहले प्रतिवादी-प्रतिवादी के पूर्ववर्ती-हित अमीर चंद उक्त घर के मालिक थे, जिनकी मृत्यु भी लगभग चार साल पहले हो गई थी और उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी-प्रतिवादी उक्त घर के मालिक बन गए।

(तीन) प्रतिवादी के पिता अमीर चंद ने 21 अगस्त को 1970 का मुकदमा संख्या 255 शुरू किया था। पक्षकारों के संबंधित घरों में शामिल पूरी संपत्ति के आधे हिस्से के विभाजन द्वारा कब्जे के लिए अपीलकर्ताओं-वादी के पूर्ववर्ती-हित धर्म सिंह के खिलाफ 1970। हालांकि, उक्त मुकदमे का फैसला विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अमीर चंद के खिलाफ यह कहते हुए किया गया था कि वह संपत्ति पक्षकारों की संयुक्त संपत्ति नहीं थी और बल्कि धर्म सिंह घर के अनन्य कब्जे में जारी था, जैसा कि साइट प्लान पूर्व पीएल में 'ABCDEFGH*' पत्रों द्वारा किया गया था और अमीर चंद का उक्त घर में कोई अधिकार नहीं था और इसलिए, उसे प्रतिकूल कब्जे से उक्त घर का मालिक माना गया था और यह

माना गया था कि अमीर चंद धर्म सिंह के घर से सटे घर का मालिक था। उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई और वही अंतिम हो गया है। इसलिए, यह दलील दी गई है कि प्रतिवादी को अपने घर से प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए वादी के घर के कोर्ट-यार्ड से गुजरने का कोई अधिकार नहीं है। यह भी दलील दी गई है कि वह अपने घर के उत्तरी हिस्से से अपने घर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए अलग रास्ता रख रहा है।

(चार) पप्रतिवादी द्वारा इस दलील पर मुकदमा लड़ा गया था कि वह पिछले 40 से अधिक वर्षों से अपीलकर्ता-वादी के घर के कोर्ट-यार्ड का उपयोग अपने घर से प्रवेश और निकास के लिए कर रहा था और यह कि यही एकमात्र मार्ग है जो उसके घर को गांव के उबादी से जोड़ता है और इसलिए, अपीलकर्ताओं-वादियों को दीवार उठाकर प्रतिवादी के मार्ग को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है।

पैरवी की दलील से, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे

-

(पाँच)) क्या वादी आर्क मालिकों ने साइट प्लान में रंग में पढ़े गए अक्षरों द्वारा दिखाए गए घर को कब्जे में रखा है? विरोधी।

(दो) क्या प्रतिवादी को अपने घर में प्रवेश और निकास के उद्देश्य से संलग्न साइट योजना में 'बीसीईजी' अक्षरों द्वारा दिखाए गए प्लेटी के आंगन से गुजरने का कोई अधिकार नहीं है? विरोधी।

(तीन) क्या वादी निषेधाज्ञा के हकदार हैं? विरोधी।

(चार) क्या आवश्यक पक्षों के गैर-जॉइंडर के लिए मुकदमा खराब है? ओपीडी

(पाँच) क्या प्रतिवादी ने विवाद में पारित होने पर सहजता का अधिकार हासिल कर लिया है? ओपीडी

(छः) राहत।

(पाँच) पक्षकारों ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी संबंधित दलीलों के समर्थन में साक्ष्य पेश किए। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने वर्तमान अपीलकर्ताओं-वादी द्वारा दायर मुकदमे की डिक्री की, जिसमें प्रतिवादी-प्रतिवादी को अपीलकर्ताओं-वादियों के घर के आंगन से गुजरने से रोका गया था, ताकि वे अपने घर में प्रवेश कर सकें और बाहर निकल सकें और उन्हें बिंदु बी और सी पर अपने आंगन में दीवार उठाने से रोक सकें।

साइट प्लान के अनुसार पूर्व पी 1। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी-प्रतिवादी को अपने घर के आंगन से गुजरने का कोई अधिकार नहीं है।

(छः) उक्त निर्णय और डिक्री प्रतिवादी के विरुद्ध व्यथित प्रतिवादी ने विद्वान अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की। गुरदासपुर। जिन्होंने 27 मार्च, 1985 के आक्षेपित निर्णय और डिक्री के माध्यम से प्रतिवादी-प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को उलटते हुए, यह माना गया था कि प्रतिवादी-प्रतिवादी को अपीलकर्ताओं-वादी के घर के प्रांगण से गुजरने का अधिकार है और उक्त अधिकार को उनके द्वारा बिंदु बी से सी तक अपने आंगन में

एक दीवार खड़ी करने के लिए रद्द नहीं किया जा सकता है जैसा कि साइट प्लान में दिखाया गया है। Ex.Pl. इसलिए, इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान अपीलकर्ताओं-वादी द्वारा दायर वाद को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया गया था।

(सात) उक्त निर्णय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित डिग्री से व्यथित होकर वर्तमान नियमित द्वितीय अपील दायर की गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29 अक्टूबर के आदेश के तहत सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था। (ग) 1985 में कानून के सारभूत प्रश्नों को तैयार किए बिना 1985 से अधिक का प्रावधान किया गया है।

(आठ) घनपत बनाम राम देवी [1]के मामले में इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने यह विचार किया था कि पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के मद्देनजर 1976 में संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के संशोधित प्रावधान। इस न्यायालय में दायर दूसरी अपीलों पर लागू नहीं होते हैं और तदनुसार, कानून का कोई ठोस प्रश्न तैयार नहीं किया गया था, न ही कानून के ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर पूर्वोक्त नियमित दूसरी अपील को स्वीकार किया गया था। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *कुहवंत कौर बनाम गुरदयाल सिंह मान* (मृत) [2]के मामले में एलआरएस (2) द्वारा निर्णय दिया है कि वर्ष 1976 में सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन के पश्चात् धारा 100 में संशोधन किया गया है। पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 निरर्थक हो गई थी और केंद्रीय अधिनियम के प्रतिकूल थी। सिविल प्रक्रिया संहिता और इसलिए इसे नजरअंदाज किया

[1]

[2] (2001) 4.IT 158 (एससी) = एआईआर 2001 एससी 1273.

जाना था और इसलिए, दूसरी अपील केवल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत इस न्यायालय में होगी।

(नौ) यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि यद्यपि वर्तमान अपील की स्वीकारोक्ति के समय कानून का प्रश्न तैयार नहीं किया गया था, और तथापि, यह एआईआर 1978 पंजाब एवं हाय है। दयाल सरूप बनाम ओम प्रकाश (चूंकि एलआर और अन्य, [3] में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा देखा गया था कि यह न्यायालय अपील की सुनवाई से पहले किसी भी समय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत विचार किए गए कानून के प्रश्न को तैयार कर सकता है, यहां तक कि अपील के आधार में संशोधन किए बिना भी। यह भी माना गया है कि संहिता की धारा 100 (4) और 100 (5) के तहत अपील की सुनवाई करते समय कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करना न्यायालय का कर्तव्य है और कार्यवाही के किसी भी चरण में कानून के प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

दस. इसलिए, इस कानूनी प्रस्ताव के मद्देनजर, अपीलकर्ताओं-वादियों के लिए विद्वान वकील को कानून के पर्याप्त प्रश्न दर्ज करने के लिए कहा गया था। इस अपील में उत्पन्न होने की बात कही गई है।

ग्यारह.) अपीलकर्ताओं-वादी के विद्वान वकील ने कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न दायर किए हैं। इस अपील में कहा गया है कि -

3

बारह. क्या निचली अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के विस्तृत और सुविचारित मुद्दा-व्यापी फैसले और डिक्री को उसमें दिए गए सभी कारणों से निपटाए बिना उलट देना कानूनी रूप से उचित था?

दो. क्या निचली अपीलीय अदालत प्रतिवादी-प्रतिवादी की अपील की अनुमति देने में कानूनी रूप से न्यायसंगत थी, जब उसे कभी भी सुखभोग का कोई अधिकार नहीं मिला था क्योंकि उसने न केवल आवश्यक आवश्यकताओं की वकालत की थी, बल्कि यह भी कि प्रतिवादी-प्रतिवादी के पूर्ववर्ती-हित स्वयं वर्ष 1970 तक संपत्तियों को संयुक्त होने का दावा कर रहे थे?

तीन. क्या निचली अपीलीय अदालत के निष्कर्षों के बारे में वाद भूमि के माध्यम से प्रतिवादी-प्रतिवादी के सुखभोग का अधिकार पूरी तरह से अस्थिर और गलत दिशा में है क्योंकि संबंधित अचल संपत्ति का कोई हस्तांतरण या वसीयत कभी नहीं हुई है?

चार. क्या निचली अपीलीय अदालत ने इस तथ्य की सराहना किए बिना ट्रायल कोर्ट के सुविचारित निर्णय और डिक्री को उलटने में अवैध रूप से, मनमाना और अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया कि प्रतिवादी-प्रतिवादी के पास विवादित स्थल के अलावा अपने मवेशी शेड के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण था?

पाँच. क्या निचली अपीलीय अदालत स्पष्ट रूप से गलत थी और कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ थी, इस बात को न मानकर कि वैकल्पिक

मार्ग के उपयोग में केवल असुविधा यह मानने का कोई आधार नहीं है कि किसी भी अधिकार को आवश्यकता के माध्यम से प्राप्त किया गया है?

(बारह) मैंने कानून के उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपीलकर्ताओं-प्लाई मिफ्स के लिए दुबला वकील सुना है। इस अपील में उत्पन्न होने के लिए कहा गया है, और पूरे रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

(तेरह) अपीलकर्ताओं-वादियों के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सुख का अधिकार प्राप्त करने के लिए। एक प्रमुख विरासत और सेवक विरासत होनी चाहिए और यह कि एक संपत्ति पर आराम से अधिकार का दावा करने वाला व्यक्ति जो उससे संबंधित नहीं है और। यदि वह इस धारणा में ऐसा अधिकार प्राप्त करता है कि वह संपत्ति का मालिक है, वह सुख का अधिकार प्राप्त नहीं करता है। इस बिंदु पर उन्होंने रायचंद वकनमालिदास बनाम मनक्कल मनसुखभाई,[4] और के. मोहिदकन इब्राहिम बनाम एम. मुहम्मद अब्दुल्ला, [5] एआईआर 1978 मद 9 पर भी भरोसा किया है।

[4] एआईआर 1946 बॉम्बे 266,

(चौदह) उन्होंने आगे तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी-प्रतिवादी के पूर्ववर्ती-हित ने वर्ष 1970 तक अपीलकर्ताओं-वादी की संपत्ति में सह-स्वामित्व के अधिकार का दावा किया था, जब उसने उक्त मुकदमा दायर किया था, जिसका निर्णय वर्ष 1971 में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता-वादी प्रतिकूल कब्जे से उक्त घर के मालिक बन गए हैं और प्रतिवादी-प्रतिवादी के पूर्ववर्ती-हित द्वारा दायर मुकदमा खारिज कर दिया गया था। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मुकदमा पहले से दायर मुकदमे के फैसले के बाद से 20 साल की अवधि समाप्त होने से पहले दायर किया गया है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी-प्रतिवादी ने पर्चे द्वारा सुखभोग का अधिकार हासिल कर लिया है क्योंकि 20 साल की अवधि समाप्त नहीं हुई है। आगे यह तर्क दिया गया है कि जहां तक भारतीय सुखभोग अधिनियम 1882 (संक्षेप में अधिनियम*) की धारा 13 के तहत आवश्यकता के अधिकार को प्राप्त करने का संबंध है, उस मामले में संपत्ति का नया हस्तांतरण या वसीयत होनी चाहिए थी और हालांकि, वर्तमान मामले में, उक्त स्थिति में से कोई भी उत्पन्न नहीं हुई है, और अपीलकर्ताओं-वादियों को पिछले मुकदमे में कब्जे से मालिक बनने के लिए माना गया था और इसलिए यह तर्क दिया गया है कि आवश्यकता से सुखभोग प्राप्त करने का कोई प्रश्न नहीं बनाया गया है यह मामला।

(चार) एआईआर 1946 बॉम्बे 266

(पाँच) एआईआर 1978 मद 97

---

(3) 2010 (4) पीएलआर 1

(पंद्रह) यह भी तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी-प्रतिवादी के पास अपने घर के साथ-साथ मवेशी शेड तक एक और पहुंच है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके पास आवश्यकता के सुखभोग का कोई अधिकार प्राप्त है।

(सोलह) जहां तक उपर्युक्त निर्णयों में आयोजित कानूनी प्रस्ताव, जिस पर अपीलकर्ताओं-वादी के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, का संबंध है, अधिनियम की धारा 5 के तहत आदेशात्मक सुगमता का अधिकार प्राप्त करने में कोई विवाद नहीं है। संपत्ति के सुगमीकरण के अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति को सचेत होना चाहिए कि संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति की है। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता-वादी के पूर्ववर्ती-हित के खिलाफ प्रतिवादी-प्रतिवादी के पूर्ववर्ती-हित द्वारा दायर पहले से स्थापित मुकदमे में। जिसका निर्णय विद्वान ट्रायल कोर्ट राइड जजमेंट द्वारा किया गया था। पूर्व पी 7। जो अंतिम हो गया है, प्रतिवादी-प्रतिवादी के हित में प्रतिवादी ने दलील दी थी कि दोनों पक्षों के कब्जे वाले घरों सहित पूरी संपत्ति संयुक्त है और उक्त मुकदमा विभाजन के लिए दायर किया गया था और इसलिए, प्रतिवादी-प्रतिवादी के पूर्ववर्ती-इन-इंटरेसी के स्वामित्व वाले घर पर अधिकार का दावा कर रहा था। हालांकि, उक्त याचिका को विद्वान न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और यह माना गया था कि अपीलकर्ताओं-वादी के पूर्ववर्ती-हित उक्त घर के कब्जे से मालिक बन गए थे। वर्तमान वाद दायर करने से पहले उक्त वाद के निर्णय के बाद से 20 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है, जिसमें प्रतिवादी-प्रतिवादी द्वारा सुगमता या अधिकार का दावा किया गया है। हालांकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने माना है कि भले ही यह माना जाता है कि प्रतिवादी-

प्रतिवादी ने नुस्खे द्वारा आसान अधिकार हासिल नहीं किया है, यह आवश्यकता की सहजता का मामला है क्योंकि प्रतिवादी-प्रतिवादी के पास अपने मवेशी शेड में जाने का कोई अन्य रास्ता नहीं है, जो अपीलकर्ताओं-वादी के घर से परे स्थित है, जो पक्षकारों के पूर्ववर्ती-इन-इंटरेसी के बीच पहले से स्थापित मुकदमे में स्थानीय आयुक्त द्वारा तैयार की गई साइट योजना पर भरोसा करके स्थित है।

(सत्रह) अधिनियम की धारा 13 को पुन: प्रस्तुत करना उचित है जो निम्नानुसार पढ़ता है: -

(अठारह) आवश्यकता और अर्ध-सुखभोग की सुगमता--जहाँ एक व्यक्ति दूसरे को अचल रूप से स्थानान्तरित करता है या वसीयत करता है।

(अ) यदि अंतरण या वसीयतकर्ता के विषय का आनंद लेने के लिए अंतरणकर्ता की अन्य अचल संपत्ति में कोई निर्धारण आवश्यक है, तो अंतरिती या वसीयतकर्ता ऐसे सुख का हकदार होगा: या

(आ) यदि इस तरह की सहजता स्पष्ट और निरंतर है और उक्त विषय का आनंद लेने के लिए आवश्यक है क्योंकि स्थानांतरण या वसीयत के प्रभाव में आने पर इसका आनंद लिया गया था, तो हस्तांतरणकर्ता या वसीयत करने वाले, जब तक कि एक अलग इरादा व्यक्त नहीं किया जाता है या आवश्यक रूप से निहित नहीं होता है, इस तरह के सहजता के लिए प्रबुद्ध किया जाएगा; नहीं तो

(इ) यदि इस तरह की सहजता स्पष्ट और निरंतर है और उक्त विषय का आनंद लेने के लिए आवश्यक है क्योंकि स्थानांतरण या वसीयत के प्रभाव में आने पर इसका आनंद लिया गया था, तो स्थानांतरण या वसीयत, जब तक कि एक अलग इरादा व्यक्त नहीं किया जाता है या आवश्यक रूप से निहित नहीं होता है, ऐसे मामले का हकदार होगा: या

(ई) यदि इस तरह की सहजता स्पष्ट और निरंतर और उक्त संपत्ति का आनंद लेने के लिए आवश्यक है क्योंकि हस्तांतरण या वसीयत प्रभावी होने पर इसका आनंद लिया गया था, तो हस्तांतरणकर्ता, या वसीयतकर्ता का कानूनी प्रतिनिधि, जब तक कि एक अलग इरादा व्यक्त नहीं किया जाता है या आवश्यक रूप से निहित नहीं होता है।

जहाँ अनेक व्यक्तियों की संयुक्त सम्पत्ति का विभाजन किया जाता है

(उ) यदि उनमें से किसी एक के हिस्से का आनंद लेने के लिए उनमें से एक के हिस्से पर सुखभोग आवश्यक है, तो बाद वाला इस तरह के सुखभोग का हकदार होगा, या

(एक) यदि इस तरह की सहजता स्पष्ट और निरंतर है और बाद के हिस्से का आनंद लेने के लिए आवश्यक है जैसा कि विभाजन के प्रभावी होने पर आनंद लिया गया था, तो वह, जब तक कि एक अलग इरादा व्यक्त नहीं किया जाता है या आवश्यक रूप से निहित नहीं होता है, इस तरह के सुखभोग का हकदार

होगा।

इस धारा में उल्लिखित अनुबंध, खंड (ए), (सी) और (ई)। आवश्यकता के सुगमता कहलाते हैं।

जहां अचल संपत्ति कानून के अनुपालन से उचित रूप से गुजरती है। जिन व्यक्तियों से यह गुजरता है और जिनके पास यह गुजरता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए, क्रमशः अंतरणकर्ता और अंतरिती माना जाना चाहिए।

(अठ्ठारह) कानून के उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि जहां अचल संपत्ति कानून के संचालन से गुजरती है। जिन व्यक्तियों से यह गुजरता है और जिनके पास यह गुजरता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए, क्रमशः इस धारा के प्रयोजन के लिए हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरिती माना जाना चाहिए।

(उन्नीस) वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं-वादियों द्वारा कानून के संचालन द्वारा अपने कब्जे में घर में स्वामित्व अधिकार प्राप्त किए गए हैं। यानी, प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 13 वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है।

(बीस) पिछली मुकदमेबाजी के साथ-साथ वर्तमान मामले की दलीलों में यह विधिवत साबित हो चुका है कि दोनों पक्षों के कब्जे वाले घर एक-दूसरे से सटे हुए हैं।

(इक्कीस) साइट योजना के अवलोकन से। पूर्व पीए। जो पूर्व में स्थापित वाद में नियुक्त स्थानीय आयुक्त द्वारा तैयार किया गया था, जो विवादित नहीं है, अमीर चंद

के कब्जे वाला घर वर्तमान अपीलकर्ताओं-वादी धर्म सिंह के पूर्ववर्ती-हित के कब्जे में घर के उत्तरी किनारे पर स्थित दिखाया गया है, जिसमें धरम सिंह के प्रांगण में 4-1/2 फीट चौड़ा गेट है और इस 4-1/2 फीट गेट से आगे, धरम सिंह और अमीर चंद के पशु शेड स्थित हैं। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह ठीक ही देखा गया है कि प्रतिवादी-प्रतिवादी द्वारा उक्त मवेशी शेड के माध्यम से जाने के लिए अपीलकर्ताओं-वादियों के आंगन से गुजरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और वास्तव में, प्रतिवादी-प्रतिवादी के पूर्ववर्ती-हित और उसकी मृत्यु के बाद, वर्तमान प्रतिवादी-प्रतिवादी पिछले 40-45 वर्षों से उक्त मवेशी शेड में जाने के लिए अपीलकर्ताओं-वादी के घर के आंगन का उपयोग कर रहा है और यदि अपीलकर्ता-वादी हैं अपने आंगन में बिंदु बी से सी पर दीवार उठाने की अनुमति दी गई है, वही प्रतिवादी-प्रतिवादी के अपीलकर्ताओं-वादियों के घर से परे स्थित अपने मवेशी शेड के लिए मार्ग से वंचित करेगा। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया है कि यदि प्रतिवादी-प्रतिवादी को पहुंच के किसी अन्य माध्यम से अपने मवेशी शेड से संपर्क करना है, तो उसे एक चौधरी माखन की संपत्ति से गुजरना होगा। इसलिए यह सही देखा गया है कि उसे अपने मवेशी शेड तक पहुंचने के लिए अपीलकर्ताओं-वादी के घर के आंगन से गुजरने का अधिकार है और इसलिए, यह सही रूप से देखा गया है कि यदि प्रतिवादी-प्रतिवादी ने पर्चे की सुगमता हासिल नहीं की है, तो उसने आवश्यकता की सुगमता प्राप्त कर ली है, जैसा कि धारा 13 के तहत प्रदान किया गया है।

एसीआई। प्रतिवादी-प्रतिवादी के पूर्ववर्ती-हित पहले के मुकदमे में सही या सुखभोग का दावा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उक्त सूट उनके द्वारा विभाजन के लिए इस दलील पर

टाइल किया गया था कि ठीक से पार्टियों का संयुक्त है। इसलिए, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय को उलटने में ठोस कारण दिए गए हैं।

(बाईस) इसलिए, कानून के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा इस अपील में कहा गया है, अपीलकर्ताओं के खिलाफ और प्रतिवादी-प्रतिवादी के पक्ष में फैसला किया जाता है।

(तेईस) मेरी उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप। मेरा विचार है कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है और वही है। इसके द्वारा, खारिज कर दिया।

(चौबीस) हालांकि, मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आयुष,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

हिसार, हरियाणा